श्रीमान् पीओं साहब द्वारा [illegible] शासन [illegible] के
संग अभियान-2021 में [illegible] ग्राम [illegible]
मुख्यालय [illegible] निर्देश [illegible]
किये गये है [illegible] के समक्ष
पक्षकारान को जारये सूचना पत्र [illegible] जावें
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत [illegible]
में दिनांक 3/12/21 को पेश हों।

पत्रावली शिशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प
कोर्ट [illegible] में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना
पत्र वाद/आदेश तामील [illegible] हुए है। जो शा. फा. है।
पत्रावली में [illegible] पक्षकारान हाजिर/नहीं। पत्रावली
में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 15/12/21 को न्यायालय में पेश हो।

15/12/21
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते तलबी
दिनांक 9/2/2022 को पेश हो।

9/2/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते तलबी
दिनाक 20/4/22 को पेश हो।

20/4/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर।
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरा
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते तलबी
दिनाक 16/6/22 को पेश हो।

16/6/22 पत्रावली पेश हुई। अदा० वादी हाजिर नहीं। अदा० वादी हाजिर नहीं अन्य की आवाज लगाई गई, किन्तु हाजिर नहीं। ऐसी स्थिति में अदा० वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA 1955 का अदम हाजरी अथवा पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्गत इन्डाज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार नियमानुसार निर्गम मूल न्यायालय में भुगाया जाए।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
16/6/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 12:40:57 IST
Reason: SelfAttested